

राजस्थान आवासन मण्डलः जयपुर.

क्रमांक :- ४४५

दिनांक :- ११.८.२०२०

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की योजनाओं में विद्युतीकरण से सम्बन्धित कार्यों की उत्कृष्ट गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु एतद्वारा निर्देश जारी किये जाते हैं कि सिविल कार्यों की भाँति विद्युतीकरण सम्बन्धी नवीन रूप से प्रारम्भ किये जाने वाले एवं प्रगतिधीन सभी कार्यों का तृतीय पक्ष निरीक्षण आवश्यक रूप से करवाया जावे। इसके साथ ही कार्यों की गुणवत्ता एवं कार्य सम्पादन के मध्येनजर, राशि रु. 25.00 लाख से अधिक के विद्युत कार्यों की निविदाएं टू-बिड प्रणाली (Single stage two envelopes) के अन्तर्गत आमन्त्रित की जावें।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे।

४४५ —
(पवन ऊरोडा)
आवासन आयुक्त.

CE/HB/346
प्र० ००१/२०२०

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सविव-माननीय अध्यक्ष महोदय/आवासन आयुक्त, रा०आ०म०, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्याध्यक्ष, रा०आ०म०, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, रा०आ०म०, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा०आ०म०, जयपुर/जोधपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, रा०आ०म०, वृत —————— (समस्त)।
6. रक्षित पत्रावली।

आवासीय अभियन्ता (विद्युत).

DLR
17/8
PECK

DLR
21/08/2020